फार्म 'ख'

(नियम 6 देखे)

पट्टो जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के संम्बन्ध में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पुर्व अनुमोदन लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता ऐजेंन्सी द्वारा भरा जाना है)

1	पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रिय सरकार ने वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है (प्रति संलग्न करें।)		भारत सरकार का पत्र संख्या – 08–197/91–एफ.सी, दिनांक– 01.11.1993 (छाया प्रति संलग्न है)
2	परियोजना के विवरण		
(i)	प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए वन भूमि आपेक्षित है।		जनपद– मिर्जापुर के मिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत 400 के0वी0 अनपरा– वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु (319.288 हे0 में से) 37.51 हे0 वन भूमि का 30 वर्षो हेतु उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी) को दी गयी लीज का नवीनीकरण।
(ii)	1:50000 के स्केल मैप पर के वन के आस–पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र		संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत (लाख में)		4314.62 लाख
3	कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाले है।)		37.51 हे0 पर पूर्व से पारेषण लाईन निर्मित है।
4	अनुदेशो के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रो/दस्तावेजों का ब्यौरा	1	भारत सरकार का पत्र संख्या – 08–197/91 एफ.सी. दिनांक – 01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1990 उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति हेत संस्तुति प्रमाण पत्र
		2	संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या जी.आई. 444/14–2–93–707/89 दिनांक –08/23 फरवरी 1994 की प्रति
		3	मानक शर्ते
		4	परियोजना में प्रभावित वन भूमि का विवरण (Land Schedule)
		5	सर्वे आफ इण्डिया की टोपो शीट 1:500000 स्केल का जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है।
		6	संयुक्त निरिक्षण प्रमाण पत्र
		7	स्थल निरिक्षण प्रमाण पत्र
		8	लीज अवधि प्रमाण पत्र
		9	पूर्व में उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि हस्तान्तरण/क्षतिपूरक वृक्षरोपण की धनराशि संबंधि प्रमाण–प्रत्र
		10	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि हस्तान्तारित किये जाने संबंधि वचनबद्वता प्रमाण–पत्र
		11	वन भूमि में प्रभावित वृक्षों के सम्बन्ध में प्रमाण–प़त्र
		12	पारेषण लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र
		13	परियोजना में लाभन्वित होने वाले ग्रामों परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र
		14	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तो के अनुपालन सबंधी प्रमाण पत्र
		15	लागत लाभ विश्लेषण
		16	जियोरिफरेन्स मैप (GEO-Reference map)
		17	KML SHP file (in CD)
		18	Site Photographs
		19	प्रस्तावीत वन भूमि पर पारेषण लाईन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र
		20	भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशी की देयता के संबंध में लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division-II
Varanasi.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय वाराणसी
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 579 वि0प्रे0खं–II (वा)/वन विभाग दिनांक. 11/05/2020

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन मे प्रभावित 319.28 हेक्टेयर भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर वन प्रभाग
मिर्जापुर,

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3454/मिर्जापुर/15/दिनांक 03.03.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक 4073/मी0क्षे0/33/मिर्जापुर दिनांक 27.02.2020

महोदय,

कृपया अवगत करना है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण हेतु विभिन्न वन प्रभागो (रेनुकूट वन प्रभाग 98.28 हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048 हे0, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79 हे0, मिर्जापुर वन प्रभाग 37.51 हे0, एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग 54.652 हे0) में प्रभावित कुल 319.28 हेक्टेयर 20 वर्ष हेतु लीज पर दी गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त हो चुका है।उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर के पत्रांक 4073/मी0क्षे0/33/मिर्जापुर दिनांक 27.02.2020 जो आपको सम्बोधित है, के बिन्दु 2 , 5, एवं 6 पर उठाई गयी आपत्तियों पर बिन्दुआर आख्या/निवाकरण निम्नवत है।

1. बिन्दु 2 में अंकित आपत्तियों का निवारण करते हुए हार्ड कॉपी में भी परियोजना की लगत रू0 4314.62 लाख अंकित करके प्रेषित कर दी गई है।
2. बिन्दु 5 एवं 6 के आपत्ति जो कि क्षतिपूरक वनिकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियोरिफिरेन्स्ड डिजिटल मैप तथा के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 सहित संलग्न करने एवं ऑन लाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित टोपोसीट अपलोड करने हेतु अवगत कराया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त लीज के समय पर सन् 1993 में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 319.28 हे0 भूमि डेरापुर तहसील में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम में दर्शाये गये ग्रामसभा की भूमि लैण्ड बैंक के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी एवं उक्त 319.28 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 89,39,840.00(नवासी लाख उनतालिश हजार आठ सौ चालीस रूपये मात्र) की धनराशि चेक सं0 538008 दिनांक 28.05.1993 को वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी जिसकी प्रति और क्षतिपूरक वनीकरण की देयता से सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि उक्त लाइन का निर्माण पहले से किया गया है और अभी कोई भी नया निर्माण नही किया जाना है। लीज नवीनीकरण में क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित देयता बनती है या नही इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई लीज नवीनीकरण सम्बन्धित गाईड–लाईन उपलब्ध नही है। यदि शासन से उपरोक्त से समन्धित कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो उसका पालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव का ऑनलाईन पार्ट–2 भर कर ओबरा वन प्रभाग ओबरा को अग्रीम कार्यवाही हेतु शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे कि समेकित प्रस्ताव बनाकर मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय
11.05.2020
(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. /वि0प्रे0खं0–II (वा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, (पारे0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।
4. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड–तृतीय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता